

गृह (गुप-6) विभाग

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-9) विभाग

क्रमांक: प.16(9)गृह-9/2018

जयपुर, दिनांक:-

11 OCT 2018

अधिसूचना

यतः राज्य सरकार यह समझती है कि जिला अलवर में कम्पनी गेल इंडिया लि० को सीटी गेट स्टेशन कायम रखने हेतु औद्योगिक क्षेत्र कहरानी तहसील तिजारा जिला अलवर के प्लॉट संख्या-एसआर-01 पर जिसके क्षेत्र का विवरण नीचे वर्णित है, से संबंधित जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या इसमें हस्तक्षेप शत्रु को उपयोगी होगा।

इसलिए अब राज्य सरकार एतद्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 19) की धारा 2 के खण्ड (8) के उप-खण्ड (घ) सपटित भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 21/20/62 पोल (I) दिनांक 04.05.1963 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अलवर में कम्पनी गेल इंडिया लि० को सीटी गेट स्टेशन कायम रखने हेतु औद्योगिक क्षेत्र कहरानी तहसील तिजारा जिला अलवर के प्लॉट संख्या-एसआर-01 पर सुरक्षा की दृष्टि प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु उक्त अधिनियम के तहत सुरक्षा की दृष्टि से निम्नांकित सीमाओं वाले क्षेत्र को प्रतिषिद्ध स्थान घोषित करती है।

क्षेत्र का विवरण

क्र.सं.	नाम तहसील	ग्राम	भूमि ख.नं.	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम
1.	अलवर (तिजारा)	कहरानी, प्लॉट संख्या-एसआर-01	प्लॉट संख्या-एसआर-01 क्षेत्रफल-2100.00 वर्ग मीटर		भूखण्ड संख्या एस. आर-7 मैसर्स गेल इंडिया लि० को आवंटित है।	रीको से निगम की वाटर सप्लाय स्क्रीम/सर्विसेज भूमि स्थित है।	भूखण्ड संख्या एस.पी.-6(डी) औद्योगिक भूखण्ड स्थित है।	श्रीको की 45.00 वर्ग मीटर की रोड तथा औद्योगिक भूखण्ड स्थित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(सुबेसिंह यादव)

शासन विशिष्ट सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
3. जिला कलक्टर, अलवर।
4. निदेशक, लेखन सामग्री एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर दिनांक..... के असाधारण राजपत्र में प्रकाशनार्थ मय सी.डी.।
5. सीनियम मैनेजर (सुरक्षा) एनसीआर, गेल इंडिया लिमिटेड जुबली टावर, बी-35-36 सेक्टर-1 नोएडा 201301 इंडिया को सूचनार्थ प्रेषित है।
6. उप शासन सचिव गृह गुप-6 विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

11 OCT 2018

शासन विशिष्ट सचिव
गृह (आपदा प्रबन्धन) विभाग